उत्तर प्रदेश शासन,

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3

संख्या-1/2018/827/11-3-18-57/18

लखनऊः○:दिनांकः○: 04 मई, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ किये जाने हेतु श्री मो0 मारूफ, विशेष सचिव, कर एवं निबंधन विभाग को संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन विभाग में एतद्द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया जाता है।

एस0पी0 शुक्ल

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 827(1)/11-3-2017-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- श्री मो0 मारूफ, विशेष सचिव, कर एवं निबंधन विभाग को सतर्कता अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-705/39(4)-42(340)/86 दिनांक 31.03.1990 की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करंे।

2- सचिव, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उ0प्र0 पंचम तल जवाहर भवन लखनऊ।

3- सतर्कता अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/समस्त विशेष सचिव, कर एवं निबंधन विभाग।

5- संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, कर एवं निबंधन विभाग।

6- समस्त अनुभाग अधिकारी, कर एवं निबंधन विभाग।

7- गार्ड फाईल ।

(एस0पी0 शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।